

प्रेस नोट

आज (4 जुलाई, 2017) को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए निम्नलिखित समय-सूची निर्धारित की है :-

- (क) 18 जुलाई, 2017 - नामनिर्देशन की अंतिम तारीख;
- (ख) 19 जुलाई, 2017 - नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तारीख;
- (ग) 21 जुलाई, 2017 - अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख; और
- (घ) 5 अगस्त, 2017 - यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान कराए जाने की तारीख।

आयोग ने 1 जुलाई, 2017 को जारी की गई अलग-अलग अधिसूचनाओं द्वारा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए श्री शमशेर के. शरीफ, महासचिव, राज्य सभा को रिटर्निंग आफिसर तथा श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव और श्री रोहतास, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय को सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त किया है।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियमावली, 1974 के नियम 3 के अधीन यथापेक्षित, रिटर्निंग आफिसर ने आज 4 जुलाई, 2017 को एक लोक सूचना द्वारा अधिसूचित किया है कि:

- (i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव या श्री रोहतास, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में **18 जुलाई, 2017** तक (लोक अवकाश- दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;
- (ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

- (iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;
- (v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उपरोक्त कार्यालय में कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में **बुधवार, 19 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे** की जाएगी;
- (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में **21 जुलाई, 2017 को तीन बजे अपराह्न से पहले** परिदत्त की जा सकेगी;
- (vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में **शनिवार, 5 अगस्त, 2017 को पूर्वाह्न 10 बजे और अपराह्न 5 बजे** के बीच होगा।

इन अधिसूचनाओं और रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी की गई लोक सूचना के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजपत्र में साथ-साथ पुनः प्रकाशन की व्यवस्था भी की गई है।

निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए नामनिर्देशन पत्र दर्ज करने की अवधि के बीच आने वाले शनिवार अर्थात् 15 जुलाई, 2017 सहित सभी कार्य दिवसों में (लोक अवकाश दिनों से भिन्न) अपराह्न 3.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे के बीच श्री शमशेर के. शरीफ, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग आफिसर एवं महासचिव, राज्य सभा से उनके कार्यालय (कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली) में संपर्क किया जा सकता है।

नई दिल्ली,
4 जुलाई, 2017